न्यायालयः—श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर, जिला अशोकनगर म.प्र.

दिनांक :— 08/01/2025

—: आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष—2025 :—

मैं, *श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे,* मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर जिला अशोकनगर, जिला अशोकनगर में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य उचित रूप से कार्य वितरण होने के संपादन हेतु पूर्व आपराधिक कार्य विभाजन आदेशों (समस्त संशोधन सहित) को अधिष्ठित करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 14(2) एवं 15(2) सहपठित धारा 12 एवं 13 बी.एन.एस.एस. में प्रदत्त शक्तियों के प्रावधान के तहत अशोकनगर जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य आपराधिक कार्य का विभाजन नीचे लिखे अनुसार आवंटन करती हूं, जो दिनांक 08/01/2025 से अन्य आदेश होने तक निरंतर प्रभावशील रहेगा।

क.	न्यायिक अधिकारी	अधिकार क्षेत्र	क.	कार्य विवरण
1.	**श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर**	संपूर्ण जिला अशोकनगर	1.	अशोकनगर जिले के सभी क्षमा प्राप्त अभियुक्तों से संबंधित प्रकरण।
			2.	बालक श्रम (प्रतिवेदन एवं विनियमन अधिनियम) के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण।
			3.	उन सभी आपराधिक प्रकरणों का निराकरण, जिसका वर्णन इस पत्रक में न हो।
			4.	क्राइम ब्रांच, सी.आई.डी. व साइवर ब्रांच एवं उन समस्त जांच एजेंसीज, जिनका उल्लेख नहीं है, के द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रतिवेदन। (बालान, खात्मा, खारजा)
			5.	खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के मामले (संपूर्ण जिला अशोकनगर)
			6.	दुकान एवं स्थापना अधिनियम के मामले (तहसील अशोकनगर, नापतौल अधिनियम के संबंधित प्रकरण (तहसील अशोकनगर)
			7.	स्मगलिंग (तस्करी) एक्ट के मामले (संपूर्ण अशोकनगर जिला)
			8.	संपूर्ण अशोकनगर जिला में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के न्यायालय में चल रहे प्रकरणों से संबंधित धारा 410 द.प्र.स. सहपठित धारा 450 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			9.	संपूर्ण जिला अशोकनगर के सभी थानों से संबंधित खारजी आवेदन।
			10	संपूर्ण जिला अशोकनगर के सभी आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले इस्तगासा/परिवाद पत्र।
		आरक्षी केन्द्र 1. कोतवाली, 2. देहात 3. जी.आर.पी. अशोकनगर 4..आबकारी वृत्त अशोकनगर	1.	आरक्षी केन्द्र कोतवाली, देहात अशोकनगर, जी.आर.पी. एवं आबकारी वृत्त अशोकनगर से (महिलाओं तथा ग्राम न्यायालय से संबंधित प्रकरणों को छोडकर) उद्भूत समस्त आपराधिक प्रकरण तथा खात्मा प्रतिवेदन, समस्त प्रकार के विविध प्रकरण।

		आर.टी.ओ. अशोकनगर	1. अशोकनगर राजस्व जिले से संबंधित रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी अशोकनगर की ओर से प्रस्तुत समस्त इस्तगासा प्रकरण।
		कृषि उपज मंडी, अशोकनगर	1. कृषि उपज मंडी अशोकनगर के क्षेत्राधिकार अशोकनगर से उद्भूत कृषि उपज मंडी अधिनियम के अंतर्गत समस्त प्रकरण।
		नगर पालिका परिषद अशोकनगर	1. नगर पालिका परिषद अशोकनगर से उद्भूत होने वाले नगर पालिका अधिनियम के इस्तगासा प्रकरण।
		रेंज अशोकनगर	1 **माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के मेमोरेंडम कमांक सी/1864 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के द्वारा वन विभाग से संबंधित रेंज अशोकनगर के संपूर्ण प्रकरण का विचारण।**
2	**श्रीमती पूनम कटारिया जे.एम.एफ.सी. अशोकनगर**	**महिला थाना अशोकनगर**	1. महिला थाना अशोकनगर से उद्भूत होने वाले समस्त प्रकरण।
			2. थाना कोतवाली, शाढौरा से संबंधित क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले महिलाओं से संबंधित आपराधिक प्रकरण, विविध परिवाद, घरेलू हिंसा आदि महिलाओं संबंधी प्रकरणों का विचारण।
			3. जिला अशोकनगर के कन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगर पालिका की सीमाओं एवं जिला मुख्यालय अशोकनगर की तहसील की सीमाओं को छोडकर थाना नईसराय, कचनार, शाढौरा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले द.प्र.स. के अध्याय--9 सहपठित अध्याय–10 भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम (पत्नी, संतान और माता--पिता के **भरण–पोषण**) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
			4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
3.	**श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौड़) जे.एम.एफ.सी. अशोकनगर**	**आरक्षी केन्द्र शाढौरा**	1. थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले अभियोग पत्र (महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित प्रकरणों को छोडकर), खात्मा प्रतिवेदन, प्रायवेट परिवाद एवं समस्त प्रकार के विविध प्रकरण।
			2. थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले NDPS एक्ट के अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			3. थाना कोतवाली एवं शाढौरा के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 NIA एक्ट के परिवाद।
			4. थाना क्षेत्र से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण।
			5 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
4.	**श्रीमती बबीता प्रजापत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अशोकनगर**	**आरक्षी केन्द्र नईसराय**	1. थाना क्षेत्र से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, खात्मा प्रतिवेदन, प्रायवेट परिवाद एवं समस्त प्रकार के विविध प्रकरण।
			2. थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले NDPS एक्ट के अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण।

			3. थाना क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 NIA एक्ट के अंतर्गत आने वाले परिवाद पत्र।
			4. थाना क्षेत्र से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण।
			5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
			6. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड अशोकनगर के अवकाश पर रहने/सार्वजनिक अवकाश में मुख्यालय से बाहर रहने के दौरान आवश्यक कार्य संपादन किए जाने हेतु अधिष्ठित किया जाता है।
5.	**सुश्री गौरी सक्सेना जे.एम.एफ.सी. अशोकनगर**	**आरक्षी केन्द्र कचनार**	1. थाना क्षेत्र से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, खात्मा प्रतिवेदन, प्रायवेट परिवाद एवं समस्त प्रकार के विविध प्रकरण।
			2. थाना क्षेत्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 NIA एक्ट के परिवाद।
			3. थाना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले NDPS एक्ट के अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			4. थाना क्षेत्र से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण।
			5. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अशोकनगर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
6.	**श्री ध्रुव अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. अशोकनगर**	1.यातायात थाना (आर्थिक क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले मामले)	1. थाना क्षेत्र से संबंधित अभियोग पत्र।
			2. थाना देहात से उत्पन्न होने वाले धारा–138 NIA एक्ट के परिवादों का विचारण।
			3. आरक्षी केन्द्र कोतवाली, देहात, जी.आर.पी. अशोकनगर से उत्पन्न NDPS एक्ट के अल्प मात्रा से संबंधित आवेदन पत्र।
			4. जिला जेल अशोकनगर में निरूद्धबंदियों की मृत्यु से संबंधित धारा–176 द.प्र.स. के तहत् न्यायिक जांच।
			5. जिन मजिस्ट्रेट्स का स्थानांतरण हो चुका है और उनके स्थान पर किसी मजिस्ट्रेट की पदस्थापना नहीं हुई है तथा वह न्यायालय रिक्त है, के द्वारा आरक्षी केन्द्र कोतवाली, देहात एवं जी.आर.पी. से संबंधित प्रकरणों में जारी स्थाई गिरफ्तारी वारंट एवं समर्पण संबंधी आवेदन पत्र।
			6. जिन मजिस्ट्रेट्स का स्थानांतरण हो चुका है और उनके स्थान पर किसी न्यायाधीश की पदस्थापना नहीं हुई है तथा वह न्यायालय रिक्त है, के द्वारा **निराकृत आपराधिक प्रकरण** एवं उससे संबंधित विविध एवं निष्पादन कार्यवाहियां से संबंधित अन्य विविध कार्यवाहियां तथा पूर्व पीठासीन अधिकारियों द्वारा पारित निर्णय जिनके न्यायालय मुख्यालय पर वर्तमान में रिक्त है, की अपील/निगरानी माननीय अपील

				न्यायालय द्वारा पारित **निर्णय/आदेश** का परिपालन।
			7.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण।
7.	**सुश्री प्रिया चौहान जे.एम.एस.सी. अशोकनगर**		1	थाना देहात, जी.आर.पी. से संबंधित क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले <u>महिलाओं से संबंधित</u> आपराधिक प्रकरण, विविध, परिवाद, <u>घरेलू हिंसा आदि</u> महिलाओं से संबंधी प्रकरणों का विचारण।
			2	थाना कोतवाली एवं देहात से उत्पन्न होने वाले <u>प्राइवेट परिवाद</u> पत्र।
			3	माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।
8.	**श्री अजय कुमार नागेश जे.एम.एफ.सी., ईसागढ जिला अशोकनगर**	**आरक्षी केन्द्र 1–ईसागढ़, 2–कदवाया**	1.	थाना ईसागढ, कदवाया से संबंधित समस्त अभियोग पत्र, खात्मा प्रतिवेदन, प्रायवेट परिवाद एवं समस्त प्रकार के महिलाओं से संबंधित आपराधिक एवं विविध प्रकरण।
			2.	थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले NDPS *एक्ट* के अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			3.	थाना क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले धारा 138 NIA एक्ट के अंतर्गत आने वाले परिवाद पत्र।
			4.	थाना क्षेत्रों से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त प्रकरण।
			5.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
9.	**सुश्री पारूल चौकसे जे.एम.एफ.सी. मुंगावली**	—		*मातृत्व अवकाश पर होने से विलोपित।*
10.	**सुश्री अनु सिंघई जे.एम.एफ.सी. मुंगावली**	**आरक्षी केन्द्र 1–मुंगावली 2–सेहराई**	1	थाना क्षेत्रों से संबंधित अभियोग पत्र (महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित प्रकरणों को <u>छोडकर</u>) खात्मा प्रतिवेदन, प्रायवेट परिवाद एवं समस्त प्रकार के विविध आपराधिक प्रकरण।
			2	म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के थाना क्षेत्र व आबकारी विभाग से संबंधित आबकारी प्रकरण।
			3	थाना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले NDPS *एक्ट* के अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			4	थाना क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 NIA एक्ट से संबंधित परिवाद पत्र।
			5	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अशोकनगर द्वारा समय समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
		1–तहसील मुंगावली, 2–तहसील पिपरई (मुंगावली की सीमा तक)		**माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के मेमोरेंडम कमांक सी/1864 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के द्वारा वन विभाग से संबंधित तहसील मुंगावली व पिपरई (मुंगावली की सीमा तक) के संपूर्ण प्रकरण का विचारण।**

11	**सुश्री द्रुतिका उपाध्याय जे.एम.एफ.सी. मुंगावली**	**आरक्षी केन्द्र 1–बहादुरपुर 2–पिपरई** (तहसील मुंगावली की सीमा तक)	1	थाना क्षेत्रों से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण एवं प्रायवेट परिवाद, खात्मा प्रकरण एवं समस्त प्रकार के विविध प्रकरण।
			2	थाना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले NDPS *एक्ट* के अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			3	थाना क्षेत्र से संबंधित म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के समस्त आबकारी प्रकरण।
			4.	थाना क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 NIA एक्ट से संबंधित परिवाद पत्र।
			5	तहसील मुंगावली (थाना मुंगावली, बहादुरपुर, सेहराई), थाना पिपरई (मुंगावली तहसील की सीमा तक) के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं मुस्लिम विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 एवं विविध कार्यवाहियों के अंतर्गत आने वाले महिलाओं से संबंधित समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण।
			6.	थाना मुंगावली से संबंधित धारा 125 से धारा 128 द.प्र.स. 1973 के अंतर्गत समस्त प्रकरण एवं आनुषांगिक कार्यवाहियां।
			7.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।
12	**श्रीमति रितिका मिश्रा (पाठक) जे.एम.एफ.सी. चंदेरी**	**आरक्षी केन्द्र चंदेरी**	1	आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग पत्र, महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित प्रकरण, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, खात्मा प्रतिवेदन, प्राइवेट परिवाद पत्र, समस्त प्रकार के विविध प्रकरण।
			2	थाना क्षेत्र से उद्भूत होने वाले NDPS एक्ट के अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
			3	म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के थाना क्षेत्र व आबकारी विभाग चंदेरी से संबंधित समस्त आबकारी प्रकरण।
			4	थाना क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 NIA एक्ट से संबंधित परिवाद पत्र।
			5	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण
		तहसील 1–चंदेरी, 2–पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक)		**माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के मेमोरेंडम कमांक सी/1864 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के द्वारा वन विभाग से संबंधित तहसील चंदेरी व पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक) के संपूर्ण प्रकरण का विचारण।**
13	**सुश्री मानसी अग्निहोत्री जे.एम.एफ.सी., चंदेरी**	**पिपरई** (तहसील चंदेरी की	1	आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले समस्त अभियोग पत्र, महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों से संबंधित प्रकरण, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, खात्मा

	सीमा तक)	प्रतिवेदन, प्राइवेट परिवाद पत्र, समस्त प्रकार के विविध प्रकरण।
		2 थाना क्षेत्रों से उद्भूत होने वाले NDPS एक्ट के अल्प मात्रा से संबंधित आपराधिक प्रकरण।
		3 म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के थाना क्षेत्र से संबंधित प्रकरण।
		4 थाना क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 NIA एक्ट से संबंधित परिवाद पत्र।
		5 माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर द्वारा समय–समय पर अंतरित किए जाने वाले प्रकरण एवं अन्य आदेशित कार्य।

<u>टीप एवं आवश्यक निर्देश</u> :–

1. इस कार्य विभाजन से किसी अधिनियम, नियम अथवा अधिसूचना द्वारा दिया गया क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होगा।

2. आवश्यक आपराधिक कार्य से **तात्पर्य** पुलिस रिमाण्ड अथवा न्यायिक रिमाण्ड कार्य धारा 436 एवं 437 द.प्र.स. सहपठित धारा 478 एवं 480 भा.ना.सु.सं. के तहत् के जमानत आवेदन एवं धारा 451, 457 द.प्र.स. सहपठित धारा 497/503 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत सुपुर्दगी आवेदन, हाजिरी माफी आवेदन का निराकरण, प्रोसेस पर हस्ताक्षर करना एवं अतिआवश्यक साक्षी (<u>जो अत्यधिक दूरी से उपस्थित हुआ हो तथा उसका पुनः सरलता से उपस्थित होना संभव ना हो, तो उसका परीक्षण करना आदि है।</u>) आवश्यक कार्य के अंतर्गत **संक्षिप्त विचारण** प्रक्रिया द्वारा निपटाये जाने वाले आपराधिक प्रकरण सम्मिलित होगें, जिनमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करता है, तो **<u>जो मजिस्ट्रेट समरी पावर से सशक्त है, वे ऐसे समरी प्रकरणों का निराकरण कर सकेंगें तथा ऐसे प्रकरण उन्हीं के न्यायालय में दर्ज होगें तथा संबंधित न्यायालय से रिमाण्ड एवं अन्य पत्रावली तलब कर उसके अभिलेख में संलग्न किए जावें।</u>**

3. किसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश के दौरान उनके न्यायालय के अंडर–ट्रायल अथवा 5 वर्ष अथवा अधिक पुराने प्रकरणों में दूरस्थ जिले या अन्य राज्य से उपस्थित अनुसंधानकर्ता अधिकारी, चिकित्सक साक्षी या वृद्ध असमर्थ ऐसे साक्षी या वृद्ध बीमार या अत्यधिक दूरी से आने वाले या सेवा शर्तों के कारण अवकाश न मिलने या अत्यंत कष्टकारी, व्ययकारी या असुविधाजनक होने की स्थिति में ऐसे साक्षियों के साक्ष्य जिनकी पुनः उपस्थिति कठिन है, की साक्ष्य संबंधित प्रभार में होने वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी/मजिस्ट्रेट द्वारा <u>साक्ष्य अभिलिखित की जावेगी</u> तथा ऐसे प्रकरण केवल उक्त कार्य हेतु इनचार्ज मजिस्ट्रेट को विधिवत् अंतरित किये गये, समझे जायेगें।

4. समस्त जे.एम.एफ.सी. यदि धारा 167(2) द.प्र.स. सहपठित धारा 187(2) भा.ना.सु.सं. के तहत् पुलिस रिमांड स्वीकार करते हैं तो आदेश की प्रतिलिपि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर की ओर आवश्यक रूप से भेजें।

5. माननीय विशेष न्यायालयों से संबंधित मामलों में सार्वजनिक अवकाश की दशा में रिमांड ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रथम रिमांड की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत रहेगें।

6. पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित निर्णय या आदेश के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय या माननीय अपील/पुनरीक्षण न्यायालय से ऐसे आपराधिक रिकार्ड या आदेश प्राप्त होने पर, जो रिक्त न्यायालय से संबंधित है, उनमें माननीय अपील/पुनरीक्षण न्यायालय के निर्णय/आदेश का परिपालन या निष्पादन योग्य कार्यवाही उन मजिस्ट्रेट द्वारा की जावेगी, जिन मजिस्ट्रेट की क्षेत्राधिकारिता के अंतर्गत वह आरक्षी केन्द्र आता है, जिससे वह मामला उद्भूत हुआ हो या जिससे संबंधित वह अभिलेख/प्रकरण है तथा यदि वह पीठासीन अधिकारी अर्थात मजिस्ट्रेट वर्तमान में पदस्थ है, तब निष्पादन योग्य कार्यवाही उन्हीं पदस्थ मजिस्ट्रेट के द्वारा की जायेगी। धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम से संबंधित मामलों में भी संबंधित आरक्षी केन्द्र/थाना अधिकारिता के आधार पर कार्यवाही संपन्न की जावेगी।

7. ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है, **के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट का निराकरण या समर्पण संबंधी आवेदन का निराकरण उन्हीं मजिस्ट्रेटों के द्वारा किया जायेगा, जिनके समक्ष उक्त गिरफ्तारी वारंट से संबंधित प्रकरण लंबित है तथा यदि प्रकरण अभिलेखागार में है, तब ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा, जो पूर्व पीठासीन अधिकारी के स्थान पर पदस्थ हुआ है और यदि उक्त न्यायालय रिक्त है तब ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा, जिनको संबंधित थाने (जिस थाना क्षेत्र का मामला है) का क्षेत्राधिकार आवंटित है।** रिक्त न्यायालय के धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम से संबंधित गैर–मियादी वारंट की तामील की दशा में संबंधित थाना क्षेत्र आधार पर जिन मजिस्ट्रेट को वर्तमान में क्षेत्राधिकारिता आवंटित की गई है, उन्हीं के द्वारा उसमें विधिवत् कार्यवाही की जावेगी। यदि स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाला न्यायालय अस्तित्व में है, तब उससे संबंधित समस्त कार्यवाही उसी न्यायालय द्वारा की जावेगी।

8. *आपराधिक प्रकरणों में वाहन सुपुर्दगी के मामलों में वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा, ड्राईविंग, लाइसेंस, परमिट या अन्य दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां सुपुर्दगी प्रपत्र के साथ संलग्न की जाकर, उक्त मामलों में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर उसके साथ संलग्न की जावें।*

9. ग्राम न्यायालय के अधिनियम के प्रावधान अनुसार कार्यरत ग्राम न्यायालय क्षेत्राधिकार के प्रकरण संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न आपराधिक प्रकरणों में सगिल्लित नहीं माने जायेगें। ग्राम न्यायालय रिक्त होने की दशा में उन न्यायालयों के प्रभार उस मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के अतिरिक्त) के पास रहेगा। इसी प्रकार कनिष्ठ मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में प्रभार सूची–1 अनुसार रहेगा।

10. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट जिन्हें समरी पावर प्राप्त हैं, वह अपने संबंधित आरक्षी केन्द्रों की सीमा क्षेत्र में माह में न्यूनतम एक बार आवश्यक रूप से नियमानुसार **चलित न्यायालय** लगा सकेंगे, जिसकी पूर्व सूचना माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर को प्रेषित करेगें। उक्त चलित न्यायालय संक्षिप्त विचारण से संबंधित प्रकरणों के लिये लगाई जावे तथा उक्त चलित न्यायालयों को इस प्रकार लगाया जावे, जिससे की न्यायालय का नियमित कार्य का संपादन प्रभावित न हो।

11. <u>लंबित रिमांड पेपर्स से</u> संबंधित अभियोग पत्र, उन्हीं न्यायालयों में पेश किये जायेगें, जिनके पास उपरोक्त कार्य विभाजन पत्रों से संबंधित आरक्षी केन्द्र का क्षेत्राधिकार दिया गया है जब तक अलग से आदेश न हो तथा ऐसे रिमांड पेपर्स पर संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालयों स्वतः अंतरित माने जावेगें।

12. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे, प्रस्थान करने के पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी दूरभाष आदि के माध्यम से देंगे तथा अत्यावश्यक होने पर ई–मेल, फैक्स आदि से आवेदन प्रेषित करेंगे।

13. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गयी अधिसूचना के अंतर्गत प्रस्तुत <u>विशेष प्रकरण</u> इस कार्य विभाजन से प्रभावित नहीं रहेंगे।

14. धारा 340 द.प्र.स. सहपठित धारा–379 भा.ना.सु.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त अशोकनगर जिले के परिवाद पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर के न्यायालय में प्रस्तुत होगें।

15. **द.प्र.स. की धारा 176 (1–क) के अंतर्गत मृत्यु के कारण की जांच प्रथमतः जिस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, द्वितीयतः जिसके द्वारा प्राधिकृत अभिरक्षा में मृत्यु हुई है तृतीयतः जिसको <u>इस हेतु अधिकृत</u> किया जाता है, उस मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जावेगी।**

16. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी न्यायालय का कोई भी प्रस्तुत प्रकरण, परिवाद व आवेदन किसी भी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय में अंतरित या सुपुर्द किये जा सकेंगे।

17. इस कार्य विभाजन–पत्र का प्रभाव उन प्रकरणों, परिवाद, विविध प्रकरण व आवेदनों पर नहीं पडेगा, जो संबंधित न्यायालय के पूर्व से लंबित एवं जिनका निराकरण करने के लिये वह न्यायालय सक्षम है।

18. उपरोक्त कार्य विभाजन आदेश के बावजूद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अशोकनगर जिले में स्थित किसी भी आरक्षी केन्द्र अथवा अन्य विभाग से प्रस्तुत किये जाने वाले अभियोग पत्रों व परिवाद पत्रों

का संज्ञान करने में सक्षम होगें।

19. सुविधा की दृष्टि से यहां यह उल्लेख किया जाता है कि आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत पंजीबद्ध अपराध से संबंधित समस्त कार्यवाही जैसे रिमाण्ड, सुपुर्दगी एवं चालान, क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में ही प्रस्तुत किये जायेंगे एवं संबंधित न्यायालय के द्वारा ही उनका विचारण किया जावेगा। (दण्ड के प्रश्न पर धारा 325 द.प्र.सं. सहपठित धारा 364 भा.ना.सु.सं. में उल्लेखित प्रावधानों का अनुसरण किया जावे।)

20. **समस्त मजिस्ट्रेटगण जेल में निरूद्धबंदियों की उपस्थिति वी.सी. के माध्यम से सुनिश्चित करेगें तथा आरोपी के वारंट पर निम्न आशय टीप अंकित करेंगे** :–

"आरोपी को आगामी दिनांक ..... को वी.सी. के माध्यम से पेश किया जावें।

.....

हस्ताक्षर–

21. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी अनुपस्थिति में **अनुलग्नक–एक** के अनुसार आवश्यक आपराधिक कार्य संपादित किया जावेगा, आवश्यक आपराधिक कार्य से तात्पर्य – रिमाण्ड, जमानत, उपस्थिति माफी आवेदन, सुपुर्दनामा आवेदन पत्रों का निराकरण करेंगे।

22(अ). इस न्यायालय के सिवाय शेष सभी मजिस्ट्रेट अपनी–अपनी अधिकारिकता के अंतर्गत आने वाले आरक्षी केन्द्रों से प्रस्तुत होने वाले NDPS एक्ट की धारा–52क के आवेदनों, जिनमें NDPS *पदार्थ की व्यावसायिक या मध्यम मात्रा* जप्त हुई है, का निराकरण कर धारा–52क की कार्यवाही संपादित करेंगे।

22(ब). NDPS एक्ट के ऐसे मामले जिनमें NDPS *पदार्थ की संक्षिप्त मात्रा/स्मॉल क्वांटिटी* जप्त हुई है, उन मामलों का विचारण उसी मजिस्ट्रेट द्वारा करना उचित नहीं है, जिसने ऐसे मामलों में धारा–52ए के प्रावधान अनुसार सैंपलिंग और इन्वेंटरी की कार्यवाही की है। अतः संक्षिप्त मात्रा से संबंधित मामलों में धारा–52ए की कार्यवाही निम्नानुसार की जाएगी :–

क	थाना	मजिस्ट्रेट, जिसके द्वारा धारा–52ए की कार्यवाही की जाएगी।	ठीक पूर्ववर्ती कॉलम में उल्लेखित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने पर
1	कोतवाली (सभी प्रकृति की मात्रा)	श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौड़) अशोकनगर	सुश्री गौरी सक्सेना
2	देहात, जी.आर.पी. (सभी प्रकृति की मात्रा)	श्रीमती पूनम कटारिया अशोकनगर	श्री ध्रुव अग्रवाल
3	नईसराय	श्री ध्रुव अग्रवाल, अशोकनगर	श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौड़)
4	ईसागढ़, कदवाया	श्रीमती बबीता प्रजापत अशोकनगर	श्रीमती पूनम कटारिया
5	शाढ़ौरा	सुश्री गौरी सक्सेना, अशोकनगर	श्रीमती बबीता प्रजापत
6	कचनार	श्री ध्रुव अग्रवाल, अशोकनगर	श्री ध्रुव अग्रवाल
7	मुंगावली, सेहराई	सुश्री द्रुतिका उपाध्याय, मुंगावली	सुश्री मानसी अग्निहोत्री, चंदेरी
8	बहादुरपुर, पिपरई (तहसील मुंगावली की सीमा तक)	सुश्री अनु सिंघई मुंगावली	श्रीमती रितिका पाठक (मिश्रा), चंदेरी
9	चंदेरी	सुश्री मानसी अग्निहोत्री, चंदेरी	सुश्री द्रुतिका उपाध्याय, मुंगावली
10	पिपरई	श्रीमती रितिका पाठक (मिश्रा), चंदेरी	सुश्री अनु सिंघई, मुंगावली

(तहसील चंदेरी
की सीमा तक)

23. अशोकनगर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से संबंधित अपराधों के बारे में धारा–164 द.प्र.स. सहपठित धारा 183 भा.ना.सु.सं. के अधीन अपराधी की संस्वीकृति या साक्षियों के कथन **अनुलग्नक–दो** में वर्णित मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किए जावेंगे।

24. माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारण योग्य मामलों के उपार्पण कार्यवाही के दौरान उपार्पण आदेश पारित किए जाते समय अभिलेख केसाथ संबंधित मामले की केसडायरी भी रिकार्ड के साथ भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे तथा मुद्देमाल भी संबंधित न्यायालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे।

25. रिमाण्ड प्रपत्र एवं सुपुर्दगी प्रपत्र संबंधित आरक्षी केन्द्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जे.एम.एफ.सी. के न्यायालय में भेजे जावे।

26. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. के मेमोरेण्डम क्र. 1295/सी.जे.–II/890 जबलपुर दिनांक 18.11.2013 के पालन में चालान प्रस्तुत किए तो समय मुद्देमाल को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

27. इस आदेश के संबंध में किसी भी भ्रम या अस्पष्टता की दशा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर को संदर्भित कर उसके संबंध में सुझाव/मार्गदर्शन लिया जाये।

यह आपराधिक कार्य विभाजन संबंधी आदेश दिनांक 08/01/2025 से प्रभावशील माना जायेगा।

माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित।

8/1/25
(पी.एस. आर्य)
सत्र न्यायाधीश
अशोकनगर म.प्र.

(श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अशोकनगर म.प्र

पृष्ठाकंन कमांक 15 **/रीडर/2025** **अशोकनगर दिनांक** 08/01/2025

प्रतिलिपि :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. माननीय प्रिंसीपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र सत्र न्यायाधीश महोदय अशोकनगर की ओर सादर प्रेषित।
4. श्रीमान प्रथम/द्वितीय/प्रथम के अति0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय अशोकनगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमान प्रथम/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय मुंगावली की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश महोदय चंदेरी जिला अशोकनगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
7. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम श्रेणी अशोकनगर/चंदेरी/मुंगावली/ईसागढ की ओर सादर पालनार्थ।
8. कलेक्टर अशोकनगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर की ओर संबंधित थानों के लिए सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
10. जिला आबकारी अधिकारी, जिला अशोकनगर।
11. अभियोजन अधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय अशोकनगर।
12. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, अशोकनगर/चंदेरी/मुंगावली/ईसागढ।
13. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका अशोकनगर।
14. श्रम पदाधिकारी, श्रम विभाग अशोकनगर।
15. नियंत्रक, नापतौल विभाग, अशोकनगर।
16. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अशोकनगर।
17. उपसंचालक खाद्य एवं औषधी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोकनगर।
18. जेल अधीक्षक, जिला जेल अशोकनगर।
19. न्यायालय अधीक्षक, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर।
20. प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोकनगर की ओर सादर सूचनार्थ।
21. प्रवर्तन लिपिक, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोकनगर।
22. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, अशोकनगर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति संबंधित को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करें।

Sd/
श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अशोकनगर म.प्र

अनुलग्नक – 1

कार्यभार व्यवस्था

मुख्यालय अशोकनगर एवं ईसागढ

कार्य विभाजन पत्रक अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने या अन्य कारण से अनुपस्थित होने की दशा में निम्नानुसार अनुसूची में वर्णित क्रम के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक न्यायिक कार्य का निर्वहन किया जावेगा, अर्थात् कॉलम–1 की अनुपस्थिति में *प्रथम* प्रभार, उनकी अनुपस्थिति में *द्वितीय* प्रभार, उनकी अनुपस्थिति में *तृतीय* प्रभार, उनकी अनुपस्थिति में *चतुर्थ* प्रभार व उनकी अनुपस्थिति में *पंचम* प्रभार में तत्पश्चात् आगे वर्णित प्रभार अनुसार कार्यभार देखेंगें, अतिआवश्यक मामलों में ऐसे सभी मामलें सम्मिलित हैं, जिनमें संक्षिप्त प्रकिया के दौरान आरोपी अपराध की स्वीकारोक्तियॉ करता है, लंबित मामले शामिल नहीं होंगें।

क्र.	1	2	3	4	5
	पीठासीन अधिकारी	**प्रथम प्रभार**	**द्वितीय प्रभार**	**तृतीय प्रभार**	**चतुर्थ प्रभार**
1	श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे सी.जे.एम.	श्रीमती बबीता प्रजापत जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौड़) जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती पूनम कटारिया,जे.एम.एफ.सी	श्री ध्रुव अग्रवाल जे.एम.एफ.सी.
2	श्रीमती पूनम कटारिया, जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती बबीता प्रजापत जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती गौरी सक्सेना जे.एम.एफ.सी.	श्री ध्रुव अग्रवाल जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती गौरी सक्सेना जे.एम.एफ.सी.
3	श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौड़)जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती पूनम कटारिया,जे.एम.एफ.सी	श्री ध्रुव अग्रवाल जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती बबीता प्रजापत जे.एम.एफ.सी	श्रीमती गौरी सक्सेना जे.एम.एफ.सी.
4	श्रीमती बबीता प्रजापत जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती पूनम कटारिया,जे.एम.एफ.सी	श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौड़)जे.एम.एफ.सी	श्रीमती गौरी सक्सेना जे.एम.एफ.सी.	श्री ध्रुव अग्रवाल जे.एम.एफ.सी.
5	श्रीमती गौरी सक्सेना जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौड़)जे.एम.एफ.सी.	श्री ध्रुव अग्रवाल जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती बबीता प्रजापत जे.एम.एफ.सी	श्रीमती पूनम कटारिया,
6	श्री ध्रुव अग्रवाल जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती गौरी सक्सेना जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौड़)जे.एम.एफ.सी.	सुश्री प्रिया चौहान जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती बबीता प्रजापत
7	सुश्री प्रिया चौहान जे.एम.एफ.सी. अशोकनगर	श्रीमती गौरी सक्सेना जे.एम.एफ.सी. अशोकनगर	श्री ध्रुव अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. अशोकनगर	श्रीमती बबीता प्रजापत, जे.एम.एफ.सी.	श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौड़) जे.एम.एफ.सी
8	श्री अजय कुमार नागेश जे.एम.एफ.सी. *ईसागढ*	श्रीमती गौरी सक्सेना जे.एम.एफ.सी. अशोकनगर	श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौड़) जे.एम.एफ.सी. अशोकनगर	श्रीमती पूनम कटारिया, जे.एम.एफ.सी. अशोकनगर	श्री ध्रुव अग्रवाल जे.एम.एफ.सी. अशोकनगर

मुख्यालय चंदेरी, मुंगावली

क्र.	1	2	3	4
	पीठासीन अधिकारी	**प्रथम प्रभार**	**द्वितीय प्रभार**	**तृतीय प्रभार**
1	डॉ. अनु सिंघई जे.एम.एफ.सी. मुंगावली	सुश्री द्रुतिका उपाध्याय जे.एम.एफ.सी. मुंगावली	सुश्री मानसी अग्निहोत्री जे.एम.एफ.सी. चंदेरी	श्रीमती रितिका मिश्रा (पाठक) जे.एम.एफ.सी. चंदेरी
2	सुश्री द्रुतिका उपाध्याय जे.एम.एफ.सी. मुंगावली	डॉ. अनु सिंघई जे.एम.एफ.सी. मुंगावली	श्रीमती रितिका मिश्रा (पाठक) जे.एम.एफ.सी.	सुश्री मानसी अग्निहोत्री जे.एम.एफ.सी. चंदेरी
3	श्रीमती रितिका मिश्रा (पाठक) जे.एम.एफ.सी. चंदेरी	सुश्री मानसी अग्निहोत्री जे.एम.एफ.सी. चंदेरी	सुश्री द्रुतिका उपाध्याय जे.एम.एफ.सी. मुंगावली	डॉ. अनु सिंघई जे.एम.एफ.सी. मुंगावली
4	सुश्री मानसी अग्निहोत्री जे.एम.एफ.सी. चंदेरी	श्रीमती रितिका मिश्रा (पाठक) जे.एम.एफ.सी. चंदेरी	डॉ. अनु सिंघई जे.एम.एफ.सी. मुंगावली	सुश्री द्रुतिका उपाध्याय जे.एम.एफ.सी. मुंगावली

श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अशोकनगर म.प्र

अनुलग्नक – 2(i)

धारा–164 द.प्र.सं. सहपठित धारा 183 भा.ना.सु.सं.

महिला संबंधी अपराधों से संबंधित मामलों में

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	श्रीमती गौरी सक्सेना, अशोकनगर	थाना कोतवाली
2	श्रीमती बबीता प्रजापत, अशोकनगर	थाना ईसागढ, थाना कदवाया
3	श्रीमती हर्षिता शर्मा (गौड़), अशोकनगर	थाना देहात, थाना जी.आर.पी.
4	श्रीमती पूनम कटारिया, अशोकनगर	थाना कचनार
5	सुश्री प्रिया चौहान, अशोकनगर	थाना शाढौरा, थाना नईसराय, महिला थाना अशोकनगर
6	डॉ. अनु सिंघई, मुंगावली	थाना मुंगावली, थाना सेहराई, थाना बहादुरपुर, थाना पिपरई (तहसील मुंगावली की सीमा तक)
7	सुश्री मानसी अग्निहोत्री, जे.एम.एफ.सी. चंदेरी (महिला एवं पुरूष दोनों प्रकृति के मामलों में)	थाना चंदेरी,
8	श्रीमती रितिका पाठक (मिश्रा), चंदेरी (महिला एवं पुरूष दोनों प्रकृति के मामलों में)	थाना पिपरई (तहसील चंदेरी की सीमा तक)

टिप्पणी :–

1. धारा 164(1) द.प्र.स. सहपठित धारा 183 भा.ना.सु.सं. के प्रावधान अनुसार कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उस मामले में अधिकारिता हो या न हो, किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात् जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है। अतः उपरोक्त अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश की अनुपस्थिति की दशा में *प्रथमतः* मुख्यालय पर उपलब्ध ऐसे मजिस्ट्रेट, जिन्हे उस मामले की विचारण की अधिकारिता नहीं है, वह धारा 164 द.प्र.स. सहपठित धारा 183 भा.ना.सु.सं. के आवेदन का निराकरण करेंगे तथा यदि मामला उन्हीं के न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो उस थाना क्षेत्र के निकटतम स्थान पर पदस्थ उपलब्ध अन्य मजिस्ट्रेट उक्त प्रकृति के आवेदन का निराकरण करेंगे।

2. उपरोक्त सूची अनुसार धारा 164 द.प्र.स. सहपठित धारा 183 भा.ना.सु.सं. के तहत कथन लिपिबद्व करने हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके *प्रभार अनुसार महिला मजिस्ट्रेट* कथन ले सकेंगे। महिला मजिस्ट्रेट न होने की दशा में उक्त स्थापना के वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित किए जावेंगे।

3. धारा 164 द.प्र.स. सहपठित धारा 183 भा.ना.सु.सं. के तहत कथन लेखबद्व करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु पेश हो, तो कमशः अगले प्रभारी कथन लेंगे।

श्रीमती किरण तुगशची धुर्वे
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अशोकनगर म.प्र

अनुलग्नक – 2(ii)

धारा–164 दप्रस सहपठित धारा 183 भा.ना.सु.सं.

महिलाओं के विरूद्ध किए गए अपराधों को छोडकर शेष मामलों के लिए आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत मामलों में निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके सामने दर्शित आरक्षी केन्द्रों के धारा–164 दं. प्रं.सं. सहपठित धारा 183 भा.ना.सु.सं. के कथन अभिलिखित करेंगे।

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र
1.	श्री ध्रुव अग्रवाल, अशोकनगर	थाना ईसागढ, थाना–कदवाया, थाना कोतवाली, थाना देहात
2.	श्री अजय कुमार नागेश, ईसागढ	थाना नईसराय, थाना जी.आर.पी., महिला थाना अशोकनगर थाना कचनार, थाना शाढौरा
3.	डॉ. अनु सिंघई, मुंगावली	थाना बहादुरपुर, थाना पिपरई (तहसील मुंगावली की सीमा तक)
4.	सुश्री द्रुतिका उपाध्याय, मुंगावली	थाना मुंगावली, थाना सेहराई,

टिप्पणी :–

1. धारा 164(1) द.प्र.स. सहपठित धारा 183 भा.ना.सु.सं. के प्रावधान अनुसार कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उस मामले में अधिकारिता हो या न हो, किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात् जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय अपने से की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है। अतः उपरोक्त अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश की अनुपस्थिति की दशा में प्रथमतः मुख्यालय पर उपलब्ध ऐसे मजिस्ट्रेट, जिन्हे उस मामले की विचारण की अधिकारिता नहीं है, वह धारा 164 द.प्र.स. सहपठित धारा 183 भा.ना.सु.सं. के आवेदन का निराकरण करेंगे तथा यदि मामला उन्हीं के न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो उस थाना क्षेत्र के निकटतम स्थान पर पदस्थ उपलब्ध अन्य मजिस्ट्रेट उक्त प्रकृति के आवेदन का निराकरण करेंगे।
2. उपरोक्त सूची अनुसार धारा 164 द.प्र.स. सहपठित धारा 183 भा.ना.सु.सं. के तहत कथन लिपिबद्ध करने हेतु अधिकृत मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके प्रभार अनुसार मजिस्ट्रेट कथन ले सकेंगे।
3. धारा 164 द.प्र.स. सहपठित धारा 183 भा.ना.सु.सं. के तहत कथन लेखबद्ध करने वाले प्रभारी मजिस्ट्रेट के पास यदि उन्हीं के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्र का मामला कथन हेतु पेश हो, तो क्रमशः अगले प्रभारी कथन लेंगे।

श्रीमती किरण ध्रुव
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अशोकनगर म.प्र